रजिस्ट्री सं० डी०—(डी०)—73 REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 8, 1981 (श्रावण 17, 1903)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 8, 1981 (SRAVANA 17, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 3
[PART III—SECTION 3]
लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Minor Administrations]

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 27 जून 1981

आदेश

मिसिल सं० 1718/049424/23-1-81/ए० एम०-81/ओ० डी० 80/एल०/आर० ई० पी०-1-बी—आयात नीति अप्रैल-मार्च 1981 के के०-9.1. के सामने कालम 4 में दर्शाई गई मदों के आयात के लिए सर्वश्री नरेश इम्पैक्स कार्पोरेशन, बम्बई-400009 को स्वतंत्र मुद्रा क्षेत्र के मदे 3,426/- रु० के लिए लाइसेंस सं० पी०/के०/0385867, दिनांक 3-2-1981 जारी किया गया था, लेकिन इसके पश्चात यह पता चला कि लाइसेंस गलती से जारी किया गया था और नियम एवं क्रियाविधियों के विरुद्ध था क्योंकि विदेशी क्रेता से विदेशी मुद्रा विनिमय प्रेषण प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन, हांगकांग में तीसरी पार्टी द्वारा पेशगी में वसूल की गई विदेशी मुद्रा विनिमय के मदे समंजित किया गया था। तदनुसार, लाइसेंस को वापस मांगा गया था जो कि सर्वश्री नरेश इम्पैक्स कार्पोरेशन द्वारा 2-3-1981 को इस कार्यालय में वापस भेजा गया था।

2. इसके पश्चात् एक कारण बताओ सूचना सं० 1718/049424/23-1-1981/ ए० एम-81/ओ० डी०-80/एल०/आर० ई० पी०-1 आई०-बी०, दिनांक 28-2-1981 उनसे यह पूछते हुए जारी किया गया था कि वे 16-3-1981 तक इस बात का जवाब दें कि उपर्युक्त लाइसेंस जो कि गलती से उनके नाम में जारी किया गया था यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(क) और 9(ख) के अन्तर्गत उपर्युक्त कालम 1 में दर्शाए गए कारणों से क्यों न रद्द कर दिया जाए? कारण बताओ सूचना के उत्तर में सर्वश्री नरेश इम्पैक्स कार्पोरेशन के स्वामी श्री नरेश पी० धनशामनी दिनांक 16-3-1981 को श्री जी० वी० श्रीवास्तव, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के सम्मुख व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। श्री नरेश ने बताया कि विषयाधीन निर्यात एक ठेके के अधीन किया गया था जो कि उनके अनुसार रेशम और नकली रेशम परिषद में पंजीकृत किया गया है। उन्होंने घोषित किया है कि उपर्युक्त संविदा में स्वतंत्र विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान के लिए भुगतान की शर्तें निर्यात संवर्धन (ई० पी०) प्रपत्र में बताई गई हैं जो कि जी० आर० आई० संख्या के समतुल्य है और जब तक यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं कर लेती तब तक पीतलदान बिलों इत्यादि द्वारा निर्यात करना असंभव होगा। उन्होंने संविदा की फोटो स्टेट प्रति भेजने का वायदा किया है जो कि अपने पत्र दिनांक 20-3-1981 के साथ नहीं भेज पाए थे। उनके पास सत्यापित बैंक प्रमाण-पत्र भी हैं। लेकिन, उनको यह भी बताया गया था कि निर्माताओं के मुद्दे नकद परिपूरक सहायता या आई०

ई० पी० लाभांश प्रदान करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी जिसके लिए एक अन्य पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा का भुगतान पहले ही प्राप्त कर लिया गया है और वह भी उन देशों में भिन्न-भिन्न देश जहां से माल का लदान किया गया था मामले की आगे जांच की गई थी और यह निश्चय किया गया था कि उपर्युक्त लाइसेंस सं० पी०/के०/0385867, दिनांक 3-2-1981 को रद्द कर दिया जाए।

3. पार्टी की एक बार फिर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए श्री अमृत टी० नागरानी, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के सम्मुख बुलाया गया क्योंकि श्री जी० बी० श्रीवास्तव को प्रदत्त कार्य उस समय बदल दिया गया था। पार्टी के स्वामी श्री नरेश ने एक बार फिर दिनांक 20-5-1981 का एक पत्र श्री अमृत टी० नागरानी को दिया था जिसके साथ उसी तारीख की नेशनल डी पैरिस बैंक से एक चिट्ठी भी थी जो सरकारी लेखे में दर्ज की गई थी। इन्होंने तर्क दिया था कि चूंकि निर्यात दस्तावेज और उनके भेजे हुए दस्तावेज से उनकी पार्टी का नाम और सर्वश्री अर्नेजा एंड कम्पनी, बम्बई का नाम स्पष्ट होता है अतः वे आर० ई० पी० लाभांश की नकद सहायता और आयात प्रतिपूर्ति दोनों से वंचित न किए जाए।

4. पूर्व की कंडिकाओं में जो कुछ भी बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी के मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया और यह निश्चय किया गया कि लाइसेंस सं० पी०/के०/0385867, दिनांक 3-2-81 को रद्द करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था क्योंकि यह गलती से जारी किया गया है और नियम एवं क्रियाविधित के विरुद्ध है क्योंकि विदेशी मुद्रा विनिमय का प्रेषण उस विदेशी क्रेता द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है जिसको माल निर्यात किया गया था, बल्कि अन्य पार्टी द्वारा पहले ही प्राप्त विदेशी मुद्रा के सम्मुख समंजित किया गया है। अतः यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(क) और 9(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा आदेश देता है कि लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और तत्काल से ही उसे अप्रभावी घोषित किया जाए।

5. यदि वे उपर्युक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय, आयात व्यापार नियंत्रण अधिसूचना सं० 12/66 दिनांक, 10-11-1966 और यथा अंतिम संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 17/76, दिनांक 20-8-1976 में विशिष्टिकृत किए गए के अनुसार वे इस आदेश के जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 10(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अर्थात अपर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली को अपील कर सकते हैं। 1981-82 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण हैंड बुक नियम एवं क्रियाविधि की कंडिका 285 में अपील दायर करने के लिए क्रियाविधि बताई गई है।

अमृत टी० नागरामी,
उप-मुख्य नियंत्रक,
आयात एवं निर्यात

ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI

Silvassa, the 24th June 1981

ORDER

No. DIC/5/(40)/79-Govt.—The Administrator, Dadra and Nagar Haveli, is pleased to authorise the Industrial Promotion Officer, District Industries Centre, Dadra and Nagar Haveli, to be the officer to have power of entry, search and seizure, under clause 17 of the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) order, 1972, within the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

By order of the Administrator,

N. KRISHNASWAMY
Secretary to the Administrator
Dadra and Nagar Haveli
Silvassa

ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR HAVELI

Silvassa, the 24th June 1981

No. DIC/5(40)/79-Govt.—In exercise of the powers under clause 2 (a) of the Paraffin Wax (Supply, Distribution and Price Fixation) Order, 1972, the Administrator, Dadra and Nagar Haveli is pleased to authorise the Collector, Dadra and Nagar Haveli, to exercise the powers and to perform the functions of the competent authority, under the said order, within the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

By order of the Administrator,

N. KRISHNASWAMY
Secretary to the Administrator
Dadra and Nagar Haveli
Silvassa

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

Bombay-20, the 27th June 1981

ORDER

No. 1718/049424/23-1-81/AM. 81/OD. 80/L/REP.I.B./560.—Licence No. P/K/0385867 dated 3-2-1981 for Rs. 3,426/- against G.C.A. was issued to M/s. Naresh Impex Corporation, Bombay-400 009 for import of items in Column 4 against K. 9.1. of A.M. 81 Import Policy. Subsequently however, it was discovered that the licence was issued inadvertently and was contrary to the rules and procedures inasmuch as remittances of foreign exchange has not been received from the foreign buyers but had been adjusted from the foreign exchange realised in advance by a third party at Hogkong. Accordingly the licence was recalled which was returned to this office on 2-3-1981 by M/s. Naresh Impex Corporation.

2. Thereafter a show cause notice No. 1718/049424/23-1-81/AM. 81/OD. 80/L/REP.I.B. dated 28-2-1981 was issued asking them to show cause upto 16-3-1981 as to why the aforesaid licence issued inadvertently in their favour should not be cancelled under clause 9(a) and 9(b) of the Imports (Control) Order 1955 dated 7-12-1955, as amended, for the reasons mentioned in para 1 above. In reply to the show cause notice Mr. Naresh P. Ghanshamani, Proprietor of M/s. Naresh Impex Corporation appeared for personal hearing on 16-3-1981 before Mr. G. B. Srivastava, Dy. Chief Controller of Imports & Exports. Mr. Naresh clarified that the exports in question were made under a contract which according to him has been registered with Silk & Art Silk Council. He claimed that the terms of payment in the aforesaid contract for advance payment in Free Foreign Exchange is mentioned in E.P. Form which is as good as G.R.I. No. and unless the same is granted by the Reserve Bank of

India it will not be possible to effect the exports through the shipping bills etc. He promised to produce a photo copy of the contract etc. which he did with his letter dated 20-3-1981. He also got the Bank Certificates authenticated. It was however explained to him that there was no provision for grant of cash compensatory support or REP benefits against exports for which foreign exchange has been realised by a third party in advance and from country other than where the goods were shipped. The case was considered further and it was decided to cancel the aforesaid licence No. P/K/0385867 dated 3-2-1981.

3. The party was once again called for personal hearing before Shri Amrrit T. Nangrani, Dy. Chief Controller of Imports & Exports since Mr. G. B. Srivastava's assignment in the meanwhile had changed. Mr. Naresh Proprietor of the firm once again handed over a letter dated 20-5-1981 to Shri Amrrit T. Nangrani together with a letter of the same date from the Banque Nationale De Paris which was brought on the record. He pleaded that since the export documents and the evidence furnished by him shows the name of his firm and the name of M/s. Arneja & Co., Bombay, they may not be deprived of the REP benefits both cash assistance and import replenishments.

4. Having regard to what has been stated in the foregoing paragraphs, the firm's case was considered in detail and it was decided that there was no alternative but to cancel licence No. P/K/0385867 dated 3-2-1981 since it has been issued inadvertently and contrary to the Rules and Procedures in asmuch as the remittance of foreign exchange has not been received from the foreign buyers to whom goods were exported but has been adjusted from foreign exchange realised in advance by third party. Therefore the undersigned in exercise of powers vested in him under Clause 9(a) and 9(b) of the Imports (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955, as amended till date hereby orders that the licence be cancelled and render it ineffective with immediate effect.

5. In case they are not satisfied with the above decision, they may file an appeal under Clause 10(2) of the Imports (Control) Order, 1955 as amended, to the competent Authority i.e. Additional Chief Controller of Imports & Exports, Udyog Bhavan, New Delhi as specified in Government of India, Ministry of Commerce Imports Trade Control Notification No. 12/66 dated 10-11-66, as amended from time to time and as last amended vide Ministry of Commerce Notification No. 17/76 dated 20-8-76 within 45 days from the date of order. Paragraph 265 of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure for 1981-82 lays down the procedure for filing an appeal.

AMRRIT T. NANGRANI
Dy Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981